सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 160 / प्रा0पत्र / 2023 **दायरा दिनांक :–18.07.2023**

GCMS ID–2023 / 61

1. घीस्या आ0 भोलू जाति मीणा निवासी ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. बाबूलाल आ0 भोलू जाति मीणा निवासी ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. दांखी पत्नी भोलू जाति मीणा निवासी ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 23 / 04 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 96 खसरा संख्या 2567 / 971 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2568 / 901 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर वाके ग्राम ओवण पटवार मण्डल ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीगण उक्त भूमि शन्ति पूर्वक काबिज काश्त करने चले आ रहा है। तथा प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से फसल बाते जोते एवं काटते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 2567 / 971 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2568 / 901 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर की ऑनलाईन रिकॉर्ड में सहवन से मौके के अनुरूप तरमीम नहीं होकर गलत तरमीम अंकित हो गई तथा मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं की गई है, इसलिए प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम मौके के अनुसार किया जाना आवश्यक है। तथा तरमीम का आधार ही मुख्य रूप से कब्जा होता है, इसलिए गलत तरमीम निरस्त करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की भूमि की, की गई गलत तरमीम को दुरूस्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

करके मौके के अनुसार सही तरमीम नहीं की गई तो आस पडोस काश्तकारों के मध्य तरमीम को लेकर वाद विवाद बढ जायेगा इसलिए गलत तरमीम को दुरूस्त करवाये जाने के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि की वास्तविक मौके एवं कब्जे के अनुरूप जॉच रिपोर्ट मंगवायी जाकर सही तरमीम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 01.08.2023 को कम्प्यूटर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस लेने पर गलत तरमीम की जानकारी हुई तब प्रार्थी ने दिनांक 02.08.2023 को उक्त गलत तरमीम निरस्त करने हेतु तहसीलदार साहब से मिला परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि बाद न्यायालय आदेश के ही गलत तरमीम को दुरूस्त किया जा सकेगा इसलिए प्रार्थीगण श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। अन्दर अवधी प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त गलत तरमीम के ऑनलाईन इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या 96 खसरा संख्या 2567/971 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2568/901 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर वाके ग्राम ओवण पटवार मण्डल ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 की, की गई गलत तरमीम को निरस्त कर मौके एवं कब्जे के अनुरूप तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :– राजस्व/25/1818 दिनांक 15.07.2024 अनुसार खसरा संख्या 2567/971 व खसरा संख्या 2568/901 प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। पुराना नक्शा लठ्ठा फटा हुआ व जीर्णशीर्ण है नये नक्शे लठ्ठे में प्रार्थीगण की उक्त भूमि की तरमीम नही है। मौका निरीक्षण के दौरान वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति में उक्त भूमि की तरमीम अंकित है जिसके अनुसार ही मौके पर वादीगण का कब्जा है। नजरी नक्शा में तरमीम को हरी स्याई से दर्शाया गया है। उक्त भूमि की डी0आई0एल0आर0एम0पी0 के तहत नक्शा शीट में तरमीम हुई है, जो नकल नक्शा ट्रेस की तरमीम से भिन्न है। उक्त वर्णित भूमि में मौके पर एन0एच0–148–डी निकला हुआ है। वादी द्वारा हाईवे में गई भूमि का मुआवजा मिल जाना बताया है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की खातेदारी भूमि में से अवाप्त भूमि कम नहीं हुई है। नक्शा लठ्ठा में उक्त भूमि की तरमीम नहीं होने से हाईवे गई भूमि का अमल सिवायचक रकबे में से किया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से हाईवे निकल जाने व हाईवे में गई भूमि का प्रार्थीगण को मुआवजा मिल जाने से नकल व नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम अनुसार तरमीम शुद्धि किए जाने के साथ ही अवार्ड एवं अधिसूचना के समय के हाईवे के नक्शे अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में सिवायचक रकबे में से अमल होकर हाईवे के खाते दर्ज हुई भूमि में भी शुद्धि होना अपेक्षित है। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा भी वर्तमान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

तरमीम को खारिज कर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के तरमीम किया जाना अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि ग्राम पंगारा पटवार मण्डल पंगारा के खाता संख्या 96 के खसरा संख्या 2567/971 व खसरा संख्या 2568/901 की वर्तमान में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 96 के खसरा संख्या 2567/971 व खसरा संख्या 2568/901 वाके ओवण पटवार मण्डल ओवण की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खसरा संख्या 2567/971 व खसरा संख्या 2568/901 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि में से हाईवे निकल जाने से संलग्न अवार्ड अनुसार हाईवे की तरमीम करते हुए व हाईवे हेतु अवाप्त भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए एवं हाईवे में अवाप्त भूमि का पूर्व में सिवायचक रकबे में से किये गये अमल हो निरस्त कर पुनः सिवायचक रकबे में दर्ज किया जावे व हाईवे में अवाप्त भूमि को प्रार्थीगण के खाते में कम करते हुए पुनः हाईवे की भूमि का अमल किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 23.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

23/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

...oli@gmail.com Phone no-7436276446